न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश,कोर्ट सं०–16,गाजियाबाद।

उपस्थित–श्री विनोद कुमार चौरसिया, उच्चतर न्यायिक सेवा
J.O. Code–UP02641

सत्र परीक्षण सं०–468/2019
मुकदमा अपराध सं०–717/2016
सरकार बनाम सूरज तौमर आदि
धारा 498A,323,326,307 भा०द०सं०
थाना सिहानी गेट, जिला गाजियाबाद।

दिनांक 25.02.2021

निस्तारण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 227 सीआर०पी०सी०

1– उपरोक्त मुकदमे मे अभियुक्तगण श्रीमती प्रकाशी देवी, श्रीमती अन्नू उर्फ अनुराधा तथा श्रीमती पूजा उर्फ पुष्पांजली की ओर से प्रस्तुत उन्मोचन प्रार्थना पत्र में कथित तथ्यों के आधार पर धारा 227 सीआर०पी०सी० के अन्तर्गत उन्मोचित करने हेतु दिया गया है।

2– उन्मोचन प्रार्थना पत्र पर अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता तथा अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) को दिनांक 10.02.2021 को विस्तार पूर्वक सुना जा चुका है। आज पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया गया है।

3– उक्त उन्मोचन प्रार्थना पत्र में अभियुक्तगण श्रीमती प्रकाशी देवी, श्रीमती अन्नू उर्फ अनुराधा तथा श्रीमती पूजा उर्फ पुष्पांजली की ओर से यह कथन किया गया है कि प्रश्नगत प्रथम सूचना रिपोर्ट, आरोप पत्र पूर्ण रूप से झूंठा तथा फर्जी तरीके से निर्मित दस्तावेज है, जिसमें वादनी मुकदमा के द्वारा किसी भी अभियुक्त के विरूद्ध कोई विशिष्ट आरोप नही लगाया गया है तथा समस्त लगाये गये आरोप सामान्य प्रकृति के है। कहीं भी यह स्पष्ट नही है कि कथित क्षति किस अभियुक्त के द्वारा वादनी मुकदमा को पहुंचायी गयी है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत प्रपत्रों को इस आधार पर भी आधारहीन बताया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट तथा वादनी की तहरीर के द्वारा अन्तर्गत धारा 323,498A भा०दं०सं० के तहत एफ०आई०आर० दर्ज किया गया था तथा उसके पश्चात वादनी की ओर से अभियुक्तगण के मध्य किसी घटना का उल्लेख नही है तथा अन्वेषण अधिकारी द्वारा फर्जी चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर पश्चातवर्ती धारा 326,307 भा०दं०सं० को बढा दिया गया है। यह भी कथन किया गया है कि भा०दं०सं० की धारा 326 का अपराध गठित करने के लिए प्रथम शर्त यह है कि सम्पूर्ण कथानक के आलोक में भा०दं०सं० की धारा 320 का निर्मित होना आवश्यक

है। दिनांक 05.06.2016 को डॉक्टर प्रदीप सिंह द्वारा निर्मित चिकित्सा प्रमाण पत्र वादनी के सुनने के संबंध में (Ear Canal) कान के रास्ते में खुन का थक्का बनने के संबंध में दिया गया है जिससे यह स्पष्ट है कि धारा 320 भा०दं०सं० के तहत आवश्यक शर्त गठित नही होती है। भा०दं०सं० की धारा 320 घोर उपहति की किस्म–**तीसरा–दोनो में से किसी भी कान की श्रवण–शक्ति का स्थायी विच्छेद** तथा **आठवां–कोई उपहति जो जीवन को संकटापन्न करती है या जिसके कारण उपहत व्यक्ति बीस दिन तीव्र शारीरिक पीडा में रहता है या अपने मामूली काम–काज को करने के लिए असमर्थ रहता है**, उपहति के विषय में उल्लेख किया गया है। धारा 307 भा०दं०सं० के संबंध में यह कथन किया गया है कि पीडिता के बयान, चिकित्सा प्रमाण पत्र तथा अन्य दस्तावेजो से यह स्पष्ट हो कि अभियुक्तगण द्वारा जान से मारने के लिए वादनी के विरूद्ध कोई ऐसा कार्य किया गया हो। चूंकि प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 04.06.2016 को लिखायी गयी है जो वादनी की तहरीर के आधार पर लिखायी गयी है तथा तत्पश्चात किसी ऐसी घटना को घटित होना नही बताया है जिसके आधार पर पत्रावली में कोई ऐसा साक्ष्य आया हो जो धारा 307 भा०दं०सं० के अवयव गठित करता हो, अतः यह धारा भी आधारहीन है। अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बलपूर्वक यह बात कही गयी है कि यदि अभियोजन कथानक को सम्पूर्ण रूप से सत्य मान भी लिया जाये तो कहीं से भी धारा 326 तथा 307 भा०दं०सं० के अवयव गठित नही होते है। अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा केस डायरी में छेडछाड होने की तिथि 05.06.2016, 10.06.2016 व 14.06.2016 के फर्जी चिकित्सा प्रमाण पत्र के द्वारा यह कथन किया गया है कि यदि इनकी अन्तर्वस्तु को भी सत्य मान लिया जाये तो कहीं से भी धारा 326 तथा 307 भा०दं०सं० का अपराध गठित होने का साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नही है। उन्मोचन प्रार्थना पत्र के पैरा–19 का हवाला देते हुए यह बात स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है कि वादनी मुकदमा तथा उसके परिवार के आपराधिक षडयंत्र दीवानी/आपराधिक 16 मुकदमें लम्बित है। यह तथ्य भी पत्रावली पर स्पष्ट है कि विवाद का आधार पारिवारिक विवाद से उत्पन्न आपराधिक मामला प्रस्तुत किया गया है। उपरोक्त सभी आधारों के द्वारा अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह निवेदन किया गया है कि आरोप अन्तर्गत धारा 326 भा०दं०सं० तथा धारा 307 भा०दं०सं० गठित नही होता है। साथ ही साथ यह भी प्रार्थना की गयी है कि वादनी द्वारा अपने परिवार के सदस्यों द्वारा आपराधिक षडयंत्र के माध्यम से झूंठी एफ०आई०आर० दर्ज करायी गयी है और उक्त आधार पर सभी अभियुक्तगण सभी धाराओं से उन्मोचित किया जाये।

4– अभियोजन पक्ष की ओर से कोई लिखित आपत्ति दाखिल नही की गयी है। सुनवायी के दौरान मौखिक आपत्ति की गयी है तथा अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा यह कहा गया है कि विवेचक द्वारा एकत्रित किए गए साक्ष्य के आधार पर आरोप पत्र दाखिल किया गया है। इस पर सम्बन्धित मजिस्ट्रेट द्वारा प्रसंज्ञान भी लिया जा चुका है तथा चूंकि अभियुक्त के विरूद्ध लगाया गया आरोप माननीय

सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है इसलिए सम्बन्धित मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा प्रस्तुत मुकदमें को विचारण हेतु सुपुर्द किया गया है तथा यह भी कहा गया है कि अभियुक्त को उन्मोचित किये जाने का कोई उचित आधार नही है।

5– अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निम्न विधिक व्यावस्थायो को संदर्भित किया गया हैं-

Kamlesh Kalra vs. **Shilpika Kalra & Ors, CRIMINAL APPEAL NO. 416 OF 2020 (decided on 24.04. 2021)**

In view of the aforesaid facts, we are of the opinion that the allegations of the complainant Shilpika Kalra with regard to non-return of the Stridhan articles and the charges under Section 406 against the Kamlesh Kalra (or even against Manish Kalra, Avnish Kalra and Suman Kalra) are not sustainable in law. It clearly appears that the filing of the criminal complaint is a pressure tactic, having been employed by the complainant Shilpika Kalra against her husband, motherinlaw, brotherin law and sisterinlaw, which is clearly an abuse of the process of Court, and is liable to be quashed in toto.

Union of India v. Prafulla Kumar Samal and another, (AIR 1979 SUPREME COURT 366) has quoted the following lines-

“The words 'not sufficient ground for proceeding against the accused' clearly show that the Judge is not a mere post-office to frame the charge at the behest of the prosecution, but has to exercise his judicial mind to the facts of the case in order to determine whether a case for trial has been made out by the prosecution. In assessing this fact, it is not necessary for the court to enter into the pros and cons of the matter or into a weighing and balancing of evidence and probabilities which is really his function after the trial starts. At the stage of Section 227, the Judge has merely to sift the evidence in order to find out whether or not there is sufficient ground for proceeding against the accused. The sufficiency of ground would take within its fold the nature of the evidence recorded by the police or the documents produced before the court which ex facie disclose that there are suspicious circumstances against the accused so as to frame a charge against him.”

Chander Kanta Lamba & Ors. vs State & Ors, (Delhi High Court, 2009) I cannot refrain from mentioning that in a case of this

nature, the Court has to be very sensitive and it should not get swayed by emotions which the complainant may be suffering from with a view to put persons or relatives who are totally unconnected with the incident to the facing of the trial in itself in present times is a great deal of punishment especially in the light of the fact that the same continues endlessly for years together on account of heavy load on the learned MM.

Arun Vyas and another v. Anita Vyas, (AIR 1999 SUPREME COURT 2071) has quoted following paragraphs-

Discharge of accused before trial - Magistrate taking cognizance of offence without taking note of fact that complaint was time barred - Can discharge accused before trial i.e. at stage of framing charge. Complaint alleging cruelty by husband or his relatives - Limitation - Cruelty is continuing offence - New starting point of limitation starts on last act of cruelty - Wife harassed and sent out of matrimonial home - Complaint even if time barred - Can be entertained if it gives unfair advantage to accused husband or results in miscarriage of justice.

Tunu vs State Of Orissa on 15 December, 1986, (Orissa High Court)

. The next question for consideration is as to what offence had been committed by the petitioners. The learned appellate Judge has held that grievous hurt had been caused to P.W. 14 as the latter had been unable to follow his ordinary pursuits during the space of twenty days. As would appear from his findings, no other clause of Section 320 of the Code defining 'grievous hurt' could be made applicable to the case.

Clause 8 of Section 320 of the Code provides that any hurt which endangers life or which causes the sufferer to be during the space of twenty days in severe bodily pain, or unable to follow his ordinary pursuits would be construed as grievous. The mere fact that a sufferer has been in the hospital for twenty days or more is not sufficient to attract this clause. It must be proved that during that time, he was in severe bodily pain or was unable to follow his ordinary pursuits. A person with some injuries may be capable of following his ordinary pursuits long before twenty days are over, but may remain as a convalescent in the hospital for the sake of permanent recovery or greater case or comfort.

In the instant case, there is no clear and acceptable evidence

that P.W. 14 was suffering from severe bodily pain for twenty days or more or that he was unable to follow his ordinary pursuits for such a period. For these reasons, the learned Counsel for both the sides are agreed that the offence would be one of causing hurt punishable under Section 324 of the Code. I would accept the contention raised on behalf of the petitioners and the concession made by the learned Standing Counsel in this regard and hold the petitioners guilty of causing hurt punishable under Section 324 read with Section 34 of the Code and convict them thereunder.

Ld. Counsel for the accused person has also relied upon pronouncements like-**Harsh Vardhan Arora** *vs* **Smt. Kavita Arora**, decided on 19 February, 2002 (Punjab-Haryana High Court), **Rumi Dhar vs State Of West Bengal & Anr**, decided on 8 April, 2009 (Supreme Court of India), **Rajiv Thapar & Ors vs Madan Lal Kapoor**, decided on 23 January, 2013 (Supreme Court of India), **Smt. Neera Singh vs The State (Govt. Of Nct Of Delhi)**, decided on 23 February, 2007 (Delhi High Court), **Savitri Devi vs Ramesh Chand And Ors**, decided on 19 May, 2003, (Delhi High Court), **Ashwani Sharma vs State**, decided on 17 April, 2017 (Delhi District Court) and **Balam Singh vs State**, decided on 11 August, 2015 (Uttaranchal High Court).

6- **उपरोक्त विधिक प्रतिपादनावों के अतिरिक्त आभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह निष्कर्ष निकालने की चेष्टा किया गया है की अभियुक्त के विरुद्ध कोई मामला नहीं बंता हैं तथा सभी को उन्मोचित किया जाय।**

7- पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि वादनी मुकदमा श्रीमती किरन तोमर द्वारा अभियुक्तगण सूरज तौमर, श्रीमती प्रकाशी देवी, श्रीमती अन्नू उर्फ अनुराधा तथा श्रीमती पूजा उर्फ पुष्पांजली के विरूद्ध मुकदमा अपराध सं० 717/2016 धारा 498A,323 भा०द०सं० थाना सिहानी गेट के अन्तर्गत जिला गाजियाबाद में पंजीकृत कराया था । विवेचक द्वारा दौरान विवेचना वादनी के चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर धारा 326,307 भा०दं०सं० की बढोत्तरी करते हुए आरोप पत्र अन्तर्गत धारा 498A,323,326,307 भा०दं०सं० के अन्तर्गत न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट सं०-3, गाजियाबाद में दाखिल किया गया था, जिस पर अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट सं०-3, गाजियाबाद द्वारा दिनांक 16.11.2016 को संज्ञान लिया गया है। केस डायरी का पर्चा-5 दिनांकित 22.08.2016 सम्बन्धित विवेचक द्वारा तैयार किया गया। इस पर्चे के माध्यम से अभियुक्तगण सूरज तौमर, श्रीमती प्रकाशी देवी, श्रीमती अन्नू उर्फ अनुराधा तथा श्रीमती

पूजा उर्फ पुष्पांजली के विरूद्ध आरोप पत्र सं०–01 दिनांकित 03.11.2016 मुकदमा अपराध सं० 717/2016, अन्तर्गत धारा 498A,323,326,307 भा०द०सं०, थाना सिहानी गेट जिला गाजियाबाद दाखिल किया गया तथा आरोप पत्र प्राप्त होने के बाद सम्बन्धित न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,कोर्ट सं०–3, गाजियाबाद द्वारा दिनांक 16.11.2016 को आरोप पत्र पर प्रसंज्ञान लिया गया तथा दिनांक 08.07.2019 को उक्त मामले के अभियुक्तगण श्रीमती प्रकाशी देवी, श्रीमती अन्नू उर्फ अनुराधा तथा श्रीमती पूजा उर्फ पुष्पांजली के अनुपस्थित रहने के कारण, अभियुक्त सूरज तौमर की पत्रावली शेष अभियुक्तगण की पत्रावली से पृथक कर सत्र न्यायालय के सुपुर्द किया गया है।

8– केस डायरी के पर्चा सं०–5 के अनुसार वादनी मुकदमा श्रीमती किरन तौमर के बयान अन्तर्गत धारा 161 सीआर०पी०सी० में पीडिता श्रीमती किरन तौमर ने यह कहा है कि '' दिनांक 3/4.06.2016 की मध्य रात्रि में पूर्व की तरह सूरज तौमर घर में शराब पीकर आया तथा पूरे परिवार के सामने मेरे साथ बर्बता पूर्वक मारपीट करने लगा, मैने भागने की कौशिश की तो उसकी ननद अन्नू उर्फ अनुराधा ने उसके पैर पकड लिये तथा छोटी ननद पुष्पांजली उर्फ पूजा ने मेरे दोनो हाथ पकड लिये तथा मुझे नीचे गिरा लिया और सूरज तौमर मौका पाकर मेरे उपर चढ बैठा तथा जान से मारने की नीयत से मेरा गला दबा दिया जिससे मेरी एक दम सांसे रूक गयी तथा मै बेसुद हो गयी। सूरज मेरा गला दबा रहा था और कह रहा था आज साली का काम तमाम कर दे सदा के छुटकारा मिल जायेगा तथा मेरी सास कह रही थी कि इसे तीसरी मंजिल से नीचे फैंक दो और मुझे जब उठाने लगे तो उठाते वक्त इनका संतुलन खराब हो गया और मैने इनके कब्जे छुटकर जान बचाकर भागी और अपने कमरे में जाकर कमरा अन्दर से बन्द कर लिया तथा अपने मायके वालो को व पुलिस को सूचना 100 नम्बर पर कर दी थी।'' डॉक्टर अंकित वर्मा ने अपने बयान अन्तर्गत धारा 161 दं०प्र०सं० में निरीक्षण के दौरान पीडिता श्रीमती किरन तोमर के शरीर पर 5 चोटे पाया जाना बताया है जिसमें चोट नं०–2 गले पर आगे व चोट नं०–3 गर्दन के पीछे खरोंच का निशान सम्भतः गला दबाते वक्त आयी हुई चोट प्रतीत होती हो रही थी। डॉक्टर प्रदीप सिंह ने अपने बयान अन्तर्गत धारा 161 दं०प्र०सं० में यह कहा है कि पीडिता श्रीमती किरन तौमर का कान का पर्दा चोट लगने के कारण फटा हुआ था तथा कान के रास्ते में हल्का खून जमा था। पर्दा फटने के कारण कान की सुनने की क्षमता बहुत कम हो जाती है। श्रीमती किरन तोमर का इलाज मेरे द्वारा दिनांक 05.06.2016 से दिनांक 17.07.2016 तक किया गया था।

9– पत्रावली उन्मोचन प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु नियत है। उन्मोचन के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा प्रतिपादित निम्न विधि व्यवस्थाओं का उल्लेख किया जाना समीचीन होगा है –

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **औंकारनाथ मिश्रा एवं अन्य बनाम राज्य ,**

एन०सी०टी० दिल्ली एवं अन्य,2008 (1) एस०एफ०सी० पेज 544(सुप्रीम कोर्ट) में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि आरोप विरचित किए जाने के स्तर पर न्यायालय से अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के प्रमाणिक मूल्य की गहन जाँच करना प्रत्याशित नही है।

माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा **प्रभुनाथ यादव बनाम उ०प्र० राज्य,2008 (60) ए०सी०सी० 59(इला०)** में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि आरोप मात्र सन्देह के आधार पर भी विरचित किया जा सकता है।

माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा **जय प्रकाश एवं अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य,2011(2) जे०आई०सी० 809 (इला०)** में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि आरोप के स्तर पर न्यायालय को यह नही देखना है कि अभियुक्त को दोषसिद्ध करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य है अथवा नही।

माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा **नितिन शर्मा एवं अन्य बनाम उ०प्र० राज्य, 2011(2) जे०आई०सी० 702 (इला०)** में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि आरोप के स्तर पर सूक्ष्म अवलोकन की आवश्यकता नही है।

माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा कुंवर पाल एवं अन्य बनाम उ०प्र० राज्य, 2011 (2) जे०आई०सी० 499(इला०) में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि आरोप के स्तर पर केवल प्रथम दृष्टया केस देखा जाना चाहिए न कि इस स्तर पर साक्ष्य का सूक्ष्मता से मूल्यांकन किया जाना चाहिए।

10– इनके अतिरिक्त उन्मोचन के बिन्दु में माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालयों, द्वारा निम्न विधि व्यवस्थाएं भी प्रतिपादित की गयी है–

9– In **State of Bihar vs. Ramesh Singh (MANU/SC/** 0139/1977), Hon'ble Apex court held that at this initial stage (the state of 227 of Cr.P.C.), truth, veracity, and effect of the evidence which the Prosecutor proposes to adduce are not to be meticulously judged. Nor is any weight to be attached to the probable defense of the accused. It is not obligatory for the Judge at this stage of the trial to consider in any detail and weigh in a sensitive balance

whether the facts if proved, would be incompatible with the innocence of the accused or not.

In **Amit Kapoor vs. Ramesh Chander** (MANU/SC/0746/2012), Hon'ble the Supreme Court of India observed that at the initial stage of trial when the charges are framed against the accused, the court is concerned not with proof but with a strong suspicion that the accused has committed the offense, which if put to trial could prove him guilty.

In **P. Vijayan *vs.* State of Kerala and another**, (2010) 2 SCC 398, the Hon'ble Apex Court has laid down that if the trial Judge comes to the conclusion that there is sufficient ground to proceed, he will frame charge, and evidence and probability need not be weighed that is to be done after the trial begins. At the stage of considering of discharge application, the court is not to see whether trial would end in conviction or acquittal.

In the same context, the Hon'ble Apex Court in **State of Tamil Nadu Vs. N. Suresh Rajan and others**, 2014 (84) ACC 656, has laid down that at the stage of consideration of discharge application, the court has to proceed with the assumption that materials brought on record by the prosecution are

true. As such, the court has only to find out whether the facts brought on record by the prosecution are true or not.

In **Union of India *vs*. Prafulla Kumar Samal & Another**, (1979) 3 SCC 4 the Apex court in paragraph No 7 held that: “The words “not sufficient ground for proceeding against the accused” clearly show that the Judge is not a mere post office to frame the charge at the behest of the prosecution, but has to exercise his judicial mind to the facts of the case in order to determine whether a case for trial has been made out by the prosecution. In assessing this fact, it is not necessary for the court to enter into the pros and cons of the matter or into a weighing and balancing of evidence and probabilities which is really his function after the trial starts. At the stage of Section.227, the Judge has merely to sift the evidence in order to find out whether or not there is sufficient ground for proceeding against the accused. The sufficiency of ground would take within its fold the nature of the evidence recorded by the police or the documents produced before the court which ex facie disclose that there are suspicious circumstances against the accused so as to frame a charge against him.”

A Three–Judge Bench of Hon’ble Apex Court in

State of Orissa Vs. **Debendra Nath Padhi**, (2005) 1 SCC 568, it was held that Section 227 was incorporated in the Code with a view to save the accused from prolonged harassment which is a necessary concomitant of a protracted criminal trial. It is calculated to eliminate harassment to accused persons when the evidential materials gathered after investigation fall short of minimum legal requirements.

In **M.E**. **Shivalingamurthy** vs. **CBI**, (2020) 2 SCC 768, **Bharat Parikh** vs. **CBI**, (2008 Cr.L.J. 3540 (SC), **Rukmini Narvekar** vs. **Vijaya Satardekar**, (AIR 2009 SC 1013), **Sachin Saxena alias Lucky** vs. **State of UP**, (2008 (62) ACC 454) Hon'ble Allahabad High Court held that at the time of framing of charges, the court can consider only the material placed before it by the investigating agency. While considering the question of discharge of accused u/s 227 Cr.P.C. or framing of charge u/s 228 Cr.P.C., the court can consider only the material submitted to it by the Magistrate at the time of commitment of the case to sessions u/s 209 Cr.P.C. Scope of Section 227, & 228 Cr.P.C. for court of sessions. At the stage of charge, trial court can consider only the police report referred to in Section 173 (2) Cr.P.C. and the documents sent therewith. The only right the accused has at that stage

is of being heard and nothing beyond that. Material produced by the accused cannot be considered by the Sessions Judge u/s 227 / 228 Cr.P.C. for purposes of discharging the accused or framing of charges against him.

In **Palwinder Singh** *vs*. **Balwinder Singh**, 2009(65) ACC 399 (SC) Hon'ble Apex Court held that at the stage of framing charges, trial court is not to examine and assess in detail the material placed on record by the prosecution nor is it for the court to consider the sufficiency of the materials to establish the offence alleged against the accused persons. Marshalling of facts and appreciation of evidence at the time of framing of charge is not in the domain of the court.

In **Bhawna Bai** *vs*. **Ghanshyam**, (2020) 2 SCC 217, Hon'ble Apex Court held that the standard of test and proof of judgment which is to be applied finally before finding the accused guilty or otherwise is not exactly to be applied at the stage of Sections 227 or 228 of Cr.P.C. Only a prima facie case has to be seen at the stage of framing of the charges and not the proof beyond reasonable doubts.

In **Sajjan Kumar** *vs*. **CBI**, (2010) 9 SCC 368), Hon'ble Apex Court held that at this stage roving and

fishing enquiry at the stage of charges u/s 228 Cr.P.C. by the Sessions Judge is not permissible as it would amount to a mini–trial at the stage of framing of charges or discharging the accused and against all settled principles of criminal jurisprudence.

In **State of Maharashtra** *vs*. **Salman Salim Khan**, (2004 Cr.L.J. 920 (SC) (Para 12) and in **Liyaqat** *vs*. **State of UP**, 2008 (62) ACC 453 (Hon'ble Allahabad High Court), has been held that 'Assessment of truthfulness, sufficiency and acceptability of the material produced cannot be done at the time of framing of charges as the same can be done by the court only at the stage of trial.'

In **State** *vs*. **J. Doraiswamy**, (AIR 2019 SC 1518), Hon'ble Apex Court held that at the stage of consideration of discharge of accused u/s 227 Cr.P.C, court has to proceed with the assumption that the material brought on record by the prosecution is true. Court has to find out from the material whether acts emerging, if taken on their face value, disclose ingredients constituting the alleged offence. Court is not required to go deep into the matter as would be required for conviction. While considering the plea of discharge, court is not permitted to appreciate evidence and act as appellate court.

In **Bihari Lal** *vs*. **State of Rajasthan**, AIR 2019 SC 1995, Where the accused was discharged on the ground of inconsistencies in the medical reports, the Supreme Court held that the stage to appreciate the evidence to find out inconsistencies in the medical reports would arise only when the prosecution would lead evidence by examining the doctors in support of their medical reports and not at the stage of Section 227 Cr.P.C. The discharge of the accused on the said ground was held improper and set aside

In a recent Judgment delivered in **State of NCT of Delhi v**. **Shiv Charan Bansal and Ors**., (AIR Online 2019 SC 1674), Hon'ble Apex Court has quoted with advantage the finding of the court arrived at in **Dipakbhai Jagdish Chandra Patel** vs. **State of Gujarat and Another** (2019 SCC Online SC 588), this Court has laid down the law relating to framing of charges and discharge, and held that all that is required is that the court must be satisfied with the material available, that a case is made out for the accused to stand trial. A strong suspicion is sufficient for framing charges, which must be founded on some material. The material must be such which can be translated into evidence at the stage of trial. The veracity and effect of the evidence which the prosecutor proposes to adduce are not to be

meticulously judged at this stage, nor is any weight to be attached to the probable defence of the accused at the stage of framing charges. The court is not to consider whether there is sufficient ground for conviction of the accused, or whether the trial is sure to end in the conviction. *At Para 32* Hon'ble Justice Mrs. INDU MALHOTRA and Hon'ble Justice Mr. R. SUBHASH REDDY held that "If the material placed before the court discloses grave suspicion against the accused, which has not been properly explained, the court will be fully justified in framing charges and proceeding with the trial. The probative value of the evidence brought on record cannot be gone into at the stage of framing charges. The Court is required to evaluate the material and documents on record with a view to find out if the facts emerging therefrom taken at their face value disclose the ingredients constituting the alleged offence. At this stage, there cannot be a roving enquiry into the pros and cons of the matter, the evidence is not to be weighed as if a trial is being conducted."

In **M.E. Shivalingamurthy** *vs.* **CBI**, (2020) 2 SCC 768), Hon'ble Apex Court held that at the time of framing of charges, the court can consider only the material placed before it by the investigating agency. While considering the question of discharge of the

accused by the Sessions Judge u/s 227 Cr.P.C, the court of sessions can consider only the material submitted to it by the Magistrate at the time of commitment of the case u/s 209 Cr.P.C. At the stage of charge, trial court can consider only the police report referred to in Section 173(2) Cr.P.C. and the documents sent therewith. The only right the accused has at that stage is of being heard and nothing beyond that. Material produced by the accused cannot be considered by the session's court u/s 227 or 228 Cr.P.C.

11 – यहां पर यह उल्लेखनीय है कि अभियुक्तगण की ओर से माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 482 नं०–14632/2019 में पारित आदेश दिनांकित 16.04.2019 के अनुपालन में अन्तर्गत धारा 239 दं०प्र०सं० के तहत संबंधित मजिस्ट्रेट न्यायालय में उन्मोचन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत उन्मोचन प्रार्थना पत्र को संबंधित मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा पारित आदेश 05.07.2018 के द्वारा निरस्त किया जा चुका है।

12– अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जो विधिक व्यवस्थाएं उद्धरित की गयी है उनके द्वारा कहीं से भी यह निष्कर्ष नही निकलता है कि यदि अभियुक्तगण के विरूद्ध पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात पर्याप्त साक्ष्य या गम्भीर संदेह उत्पन्न होने की स्थिति में अभियुक्तगण को उन्मोचित किया जा सकेगा। इसके विपरीत माननीय सर्वोच्च न्यायालय तथा माननीय विधिक उच्च न्यायालयों के द्वारा प्रतिपादित विधिक प्रतिपादनाओं से यह भी स्पष्ट निष्कर्ष निकलता है कि धारा 227 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत आरोप विरचन करने के लिए जो आवश्यक शर्त है, वे यह है कि यदि मामले के अभिलेख और उसके साथ दी दस्तावेज विचार कर लेने पर और इस निमित्त अभियुक्तगण तथा अभियोजन को सुनने के पश्चात यदि अभियुक्तगण के विरूद्ध कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार नही है तो ही अभियुक्तगण को इस स्तर पर उन्मोचित किया जा सकता है। वादी मुकदमा की तहरीर, वादनी का बयान अन्तर्गत धारा 161 दं०प्र०सं०, केस डायरी का पर्चा नं०-5 तथा पत्रावली पर उपलब्ध विभिन्न चिकित्सीय प्रमाण पत्र को यदि एक साथ पढा जाये इस स्तर पर यह गम्भीर संदेह अवश्य उत्पन्न होता है कि अभियुक्तगण के विरूद्ध पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों से

अन्तर्गत धारा 323.326,307 और 498–क भा०दं०सं० के तहत आरोप विरचन का आधार पर्याप्त है। अभियुक्तगण के द्वारा प्रस्तुत किये गये समस्त प्रपत्रों तथा मौखिक तर्क बचाव प्रकृति के है जिन पर विचार न्यायालय के द्वारा विचारण के विभिन्न प्रक्रमों पर लिया जा सकेगा तथा अभियुक्तगण को अपने बचाव में अभियोजन पक्ष की ओर से उपस्थित साक्षीगण से जिरह का करने का अवसर मिलेगा, परन्तु इस स्तर पर पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नही है जिसके आधार पर अभियुक्तगण को उक्त अपराध से उन्मोचित किया जा सकें।

13– यहां पर यह भी उल्लेखनीय है कि क्योंकि आरोप पत्र सं०–01 दिनांक 03.11.2016 को तैयार किया गया है, सम्बन्धित मजिस्ट्रेट न्यायालय में दिनांक 16.11.2016 को दाखिल किया गया है तथा उसी दिन प्रसंज्ञान लिया गया है। आरोप पत्र दाखिल होने के पश्चात विचारण के दौरान साक्ष्य मूल्य पर विचार किया जा सकता है। इस स्तर पर अभियुक्तगण श्रीमती प्रकाशी देवी, श्रीमती अन्नू उर्फ अनुराधा तथा श्रीमती पूजा उर्फ पुष्पांजली के विरूद्ध आरोप पत्र दाखिल किया गया है तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यो के आधार पर प्रसंज्ञान भी लिया जा चुका है। ऐसी स्थिति में इस स्तर पर अभियुक्तगण को उन्मोचित किये जाने का आधार पर्याप्त नही पाया जाता है तथा अभियुक्तगण का उन्मोचन प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्तगण श्रीमती प्रकाशी देवी, श्रीमती अन्नू उर्फ अनुराधा तथा श्रीमती पूजा उर्फ पुष्पांजली की ओर से प्रस्तुत उन्मोचन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 227 दं०प्र०सं० निरस्त किया जाता है। अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 498-क, 323,326 तथा धारा 307 आई. पी. सी. का आरोप विरचन का आधार पर्याप्त पाया जाता है. पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 17.03.2021 को पेश हो।

(विनोद कुमार चौरसिया)
अपर सत्र न्यायाधीश,कोर्ट सं०–16,
गाजियाबाद।

Digitally signed by Vinod Kumar Chaurasia
Date: 2021.02.25 15:44:47 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court